संख्या-145/2019/2248/22-2-2019-17(966)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ताविश उर्फ जावेद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ताविश उर्फ जावेद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, जो मो0-कटरा सद्दीक, थाना-रसूलपुर, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बंदी के पाक नागरिक होने, महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज व सेना से संबंधित सूचनायें अपने साथियों की मदद से पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की तालाशी में पासपोर्ट, कैमरा, बरेली कैन्ट के 08 फोटोग्राफ व हाथ से बना मानचित्र बरामद किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69, 144/2003 भा0द0सं0 की धारा-121, 121ए, 123, 120बी, 25 आर्म्स एक्ट व 3/9 ओ0एस0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07 अलीगढ़ के आदेश दिनांक 17.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन:अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नही की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी के पाक नागरिक होने, महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज व सेना से संबंधित सूचनायें अपने साथियों की मदद से पाकिस्तान भेजने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर है क्योंकि बंदी शातिर किस्म का अपराधी है, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ताविश उर्फ जावेद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ताविश उर्फ जावेद (बन्दी संख्या-8795) पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-145/2019/2248(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-145/2019/2248/22-2-2019-17(966)/2019

दिनांक 04 *नवम्बर*, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ताविश उर्फ जावेद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, जो मो0-कटरा सद्दीक, थाना-रसूलपुर, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बंदी के पाक नागरिक होने, महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज व सेना से संबंधित सूचनायें अपने साथियों की मदद से पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की तालाशी में पासपोर्ट, कैमरा, बरेली कैन्ट के 08 फोटोग्राफ व हाथ से बना मानचित्र बरामद किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-69, 144/2003 भा0द0सं0 की धारा-121, 121ए, 123, 120बी, 25 आर्म्स एक्ट व 3/9 ओ0एस0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07 अलीगढ़ के आदेश दिनांक 17.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन:अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नही की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी के पाक नागरिक होने, महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज व सेना से संबंधित सूचनायें अपने साथियों की मदद से पाकिस्तान भेजने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर है क्योंकि बंदी शातिर किस्म का अपराधी है, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ताविश उर्फ जावेद पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।